न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 61/2022

दायर दिनांक–20.04.2022

1. गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री परमेश्वर लाल
2. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री परमेश्वर लाल
3. अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री परमेश्वर लाल
4. संजय कुमार पुत्र स्व. श्री परमेश्वर लाल
5. किरण पुत्री स्व. श्री परमेश्वर लाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. मंदिर श्री नृसिंह जी ग्राम बसावा शाश्वत नाबालिग जरिये संरक्षिका राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी विंग, आहुरा सेन्टर, दूसरी मंजिल महाकाली केव्ज रोड अंधेरी ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि शेलेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामकिशन शर्मा जाति ब्राहमण हाल निवासी नवलगढ़ पदेन ए.वी.जी. लैण्ड एण्ड लाईजन) **(नाम हजफ)**
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. नं. :– पैरोकार राज.

<u>दावा</u> : दावा <u>घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक– 19–06–2023

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 1301/474 रकबा 4.52 हैक्टर स्थित है। खसरा नम्बर 1301/474 के पुराने खसरा नम्बर 477 रकबा 2 बिधा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 478 रकबा 3 बीधा, खसरा नम्बर 479 रकबा 5 बीधा 11 बिश्वा व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 6 बीधा 5 बिश्वा कु[illegible] उक्त भूमि आगे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से दर्ज एवं सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की खाते[illegible]कब्जा काश्त की जमीन रही है। उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते रहे है उक्त भूमि को पहले वादी[illegible] पिता व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

पति परमेश्वर लाल काश्त करते थे तथा स्व. परमेश्वर लाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि को वादीगण काश्त करते है तथा होने वाली उपज से अपना अपने बच्चों का पेट पालन करते है।

वर्णित वादग्रस्त भूमि पूर्व में माफी मन्दिर नृसिंह जी की जागिरदारी की थी जो श्री मेघदास चेला हनुमान दास द्वारा खुद काश्त की जाती थी। राजस्थान राज्य में जागीरी उम्मुलन हुई और राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अन्मूलन अधिनियम 1952 लागू हुआ तब जागीरदारी को समाप्त कर दिया गया तथा काश्तकारों द्वारा काश्त की जारी रही भूमि बाबत टीनेन्सी एक्ट 1955 के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। उपरोक्त कानून के जरिये वादग्रस्त भूमि में स्व. मेधदास चेला हनुमान दास को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और वादग्रस्त भूमि के स्व. मेधदास चेला हनुमान दास खातेदार हो गये जिसका राजस्व रिकार्ड भी बन गया और वादग्रस्त भूमि स्व. मेंधदास चेला हनुमान दास की खातेदारी में दर्ज चलती रही इसी दौरान वादग्रस्त भूमि के खातेदार श्री मेघदास चेला हनुमान दास ने अपने सगे छोटे भाई फूलचन्द के लडके (वादीगण के पिता व पति) परमेश्वर लाल को जो बचपन से ही मेघदासजी के पास रहता था तथा उन्होने ही परमेश्वरलल जी का विवाह किया था, के पक्ष में एक वसीयत नामा (निष्ठा पत्र) दिनांक 30.12.1971 के जरिये वादग्रस्त भूमि के खातेदार मेघदास चेला हनुमान दास की मृत्यु उपरान्त वादीगण के पिता व पति परमेश्वर लाल खातेदार हो गये तथा स्व. परमेश्वर लाल के दिनांक 20.01.2022 को फौत के पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये परन्तु नये सैटलमेन्ट के दौरान सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के अपने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वादग्रस्त भूमि की खातेदारी खाने में मंदिर माफी श्री नृरसिंह जी दर्ज कर दिया जिसका सैटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों को कोई अधिकार नही था। उपरोक्त गलत रूप से सैटलमेंट के समय दर्ज रिकॉर्ड वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य है।

वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त व हक अधिकारों की भूमि है जो वादीगण को अपने पिता व पति से जरिये उतराधिकार प्राप्त हुई है। सैटलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि की खातेदारी बिना आधार व अधिकारों के मन्दिर श्री नरसिंह जी के नाम दर्ज कर गलत रिकॉर्ड बना दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित किये जाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय परमेश्वर लाल को स्वर्गीय श्री मेघदास चेला हनुमानदास से जरिये वसीयत प्राप्त हुई थी तथा स्व. परमेश्वर लाल से वादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये उतराधिकार प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मन्दिर श्री नृसिंह जी साकीन बसावा के नाम खातेदारी में दर्ज है जो कि गलत रूप से कानून व मौके की स्थिति के विपरीत दर्ज है। वादग्रस्त भूमि स्व. मेघदास चेला हनुमानदास की हमेशा से कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। धारा 15 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के जरिये सरकार द्वारा जागीर को पुर्नग्रहित कर लिया गया था एवं तत [illegible] में काश्त करने वाले व्यक्ति को काश्तकारी के आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त हो गये एवं खातेदार काश्तकार हो गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो व भूमि सुधार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वर्गीय मेघदास चेला हनुमान दास द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हुये जिनसे वादग्रस्त भूमि वादीगण को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्राप्त हो गई परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से वादग्रस्त भूमि को मंदिर श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested

नृरसिंहजी के नाम दर्ज कर दिया था। सैटलमेंट कर्मचारियों को खातेदारी खाने में फेरबदल करने का कोई क्षैत्राधिकार प्राप्त नही था। खातेदार की मृत्यु पर विरासतन खातेदार के उतराधिकारियों का नाम दर्ज करने का अथवा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अंतरिती का नाम दर्ज करवाने का अथवा सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के आधार पर ही सैटलमेंट द्वारा रिकार्ड में परिवर्तन किया जा सकता था परन्तु सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से उपरोक्त तीनों परिस्थितियों के विपरीत वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाकर वाद ग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है व खातेदार काश्तकार है। ग्राम बसावा के क्षेत्र में प्रतिवादी संख्या 2 सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत करके मन्दिर के नाम खातेदारी में दर्ज भूमियों पर बिना काश्तकारों की सहमति के जबरदस्ती काश्तकारों की भूमि पर कब्जा स्थापित किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 30.03.2022 को धमकी दी है कि हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो गई है हम मौका मिलते ही आपको आपकी काश्त की भूमि से जबरदस्ती बेकब्जा करेगे। प्रतिवादीगण को इस प्रकार से वादीगण को उनकी कब्जे काश्त व हक अधिकारों की भूमि से जबरदस्ती बेकब्जा करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण के पास वादग्रस्त भूमि के अलावा कोई कृषि भूमि नही है वादग्रस्त भूमि पर वादीगण काश्त करके अपना व अपने बच्चों का पेट पालते है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कब्जे काश्त व हक अधिकारों भूमि पर से जबरदस्ती बेकब्जा कर दिया गया तो वादीगण को भूखे मरने की नौबत आ जायेगी।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण की खातेदारी की घोषणा हेतु वाद कारण वादीगण को हमेशा ही था, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादकारण वादीगण को वादग्रस्त भूमि उतराधिकार में प्राप्त होने व वादग्रस्त भूमि वादीगण की हमेशा से कब्जा काश्त की भूमि होने के बावजूद दिनांक 30.03.2022 को प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा वादीगण को जबरदस्ती बेकब्जा करने की धमकी देने के रोज न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ। वाद में प्रतिवादी नम्बर 1 मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसका सरंक्षक राजस्थान सरकार को मानकर जरिये संरक्षक राजस्थान सरकार उक्त वाद पेश किया गया है।

उक्त वाद में प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 लोक सेवक है जिनके विरूद्व वाद पेश किये जाने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद अर्जेट नेचर का है इसलिए दो माह का नोटिस दिया जाकर दावा पेश किया जायेगा तो वादीगण का दावा पेश करना बेकार हो जायेगा। इसलिए अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी नोटिस दिये जाने की छूट दी जाकर दावा ग्रहण किया जावे। वाद में पक्षकारगने वाद न्यायालय के क्षैत्राधिकार में निवास करते है तथा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1301/474 रकबा 4.52 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 477 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 478 रकबा 3 बीधा, खसरा नम्बर 479 रकबा 5 बीघा 11 बिश्वा व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 6 बीधा 5 बिश्वा कुल रकबा 17 बीधा 12 बिश्वा थे, का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्र.)
नवलगढ

वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में घोषित खातेदारी का इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नही करे तथा जबरदस्ती बेकब्जा नही करे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही से रह गई हो तथा वादीगण के पक्ष में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर वाद–पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 03 की ओर से राज पेरोकार उपस्थित आये तथा जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 अल्ट्राटेक सीमेन्ट कम्पनी है जो कि विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नही होने से अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 एवं आदेश 01 ानियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दावे से दिनांक 28.12.2022 को हजफ किया जा चुका है।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया कि ग्राम बसावा में भूमि खसरा नम्बर 1301/474 रकबा 4.52 हैक्टर भूमि माफी मन्दिर नृसिंह जी के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 1301/474 पुराने खसरा नम्बर 477 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 478 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 479 रकबा 5 बीघा 11 बीश्वा व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा से बना है। पुराने खसरा नम्बर 477 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 478 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 479 रकबा 5 बीघा 11 बीश्वा व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा गिरदावरीं सम्वत् 2009 से 2019 में खतौनीदार हनुमानदास चेला हरिदास दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 में खातेदार माफी मन्दिर श्री नरसंगजी अहतमाम पुजारी हनुमानदास चेला हरिदास दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023, सम्वत् 2024 से 2027, सम्वत् 2028 से 2031 व सम्वत् 2033 से 2036 में कास्तकार मेधदास चेला हनुमानदास दर्ज रिकार्ड है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 का दावे से नाम हजफ किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वाद–पत्र के तथ्यों को ही दोहराया गया है इस स्थिति में प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु यानि की तनकी कायम करने की आवश्यकता नही।

शहादत ली गई। वादीगण ने साक्ष्य में स्वयं वादीगण पी.डब्ल्यू–1 गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री परमेश्वर लाल जाति ब्राहमण निवासी बसावा तथा वादी पी.डब्ल्यू–2 संजय कुमार पुत्र स्व. श्री श्री परमेश्वर लाल जाति ब्राहमण निवासी बसावा का मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य वादीगण ने निम्न दस्तावेजात प्रदर्श 1 ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2063–2066, प्रदर्श–3 ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2059–2062, प्रदर्श–4 ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2055–2058, प्रदर्श–5 ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2051–2054, प्रदर्श[illegible] बसावा की जमाबंदी आधार वर्ष 2043, प्रदर्श–7 ग्राम बसावा का मिलान क्षैत्रफल [illegible] वर्ष 1995, प्रदर्श–8 ग्राम [illegible]चिराना की जमाबंदी सम्वत् 2028–2031, प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत् 2024–2027, प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत् 2020–2023, प्रदर्श–11 मेघदास द्वारा करवाया गया निष्ठा–पत्र दिनांक 30.12.1971, प्रदर्श–12 तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा जारी उतराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.1983, प्रदर्श–13 मांग पत्र, प्रदर्श–14 पास बुक, प्रदर्श–14 पास बुक, प्रदर्श–16 लगान रसीद संख्या 13, प्रदर्श–17 लगान रसीद संख्या 45, प्रदर्श–18 लगान रसीद संख्या 39, प्रदर्श–19 लगान रसीद संख्या 949, प्रदर्श–20 लगान रसीद संख्या 17, प्रदर्श–21 लगान रसीद संख्या 44, प्रदर्श–22 लगान रसीद संख्या 18, प्रदर्श–23 लगान रसीद संख्या 10, प्रदर्श–24 लगान रसीद संख्या 50, प्रदर्श–25 तहसीलदार नवलगढ के पत्रांक/लेखा/86/455 दिनांक 11.03.86, प्रदर्श–26 मंदिर श्री नृसिंह जी बसावा के महात्माओं की शिष्य परंपरा पत्र, प्रदर्श–27ए मृत्यु प्रमाण पत्र श्री मेघदासजी, प्रदर्श–28 जमाबंदी सम्वत् 2012–2015, प्रदर्श–29 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012, प्रदर्श– 30 खसरा गिरदावरी प्रदर्शित करवाये है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वादीगण के अधिवक्ता ने वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रदर्शित दस्तावेजात की ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 1301/474 रकबा 4.52 हैक्टर स्थित है। खसरा नम्बर 1301/474 के पुराने खसरा नम्बर 477 रकबा 2 बिधा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 478 रकबा 3 बीधा, खसरा नम्बर 479 रकबा 5 बीधा 11 बिश्वा व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 6 बीधा 5 बिश्वा कुल रकबा 17 बीधा 12 बिश्वा थे। वादग्रस्त भूमि पूर्व में माफी मन्दिर नृसिंह जी की जागिरदारी की थी जो श्री मेघदास चेला हनुमान दास द्वारा खुद काश्त की जाती थी। राजस्थान राज्य में जागीरी उम्मुलन हुई और राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अन्मूलन अधिनियम 1952 लागू हुआ तब जागीरदारी को समाप्त कर दिया गया तथा काश्तकारों द्वारा काश्त की जारी रही भूमि बाबत टीनेन्सी एक्ट 1955 के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे। कानूनन वादग्रस्त भूमि में स्व. मेधदास चेला हनुमान दास को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और वादग्रस्त भूमि के स्व. मेधदास चेाल हनुमान दास खातेदार हो गये जिसका राजस्व रिकार्ड भी बन गया और वादग्रस्त भूमि स्व. मेंधदास चेला हनुमान दास की खातेदारी में दर्ज चलती रही इसी दौरान वादग्रस्त भूमि के खातेदार श्री मेघदास चेला हनुमान दास ने अपने सगे छोटे भाई फूलचन्द के लडके (वादीगण के पिता व पति) परमेश्वर लाल जो बचपन से ही मेघदासजी के पास रहते थे तथा उन्होने ही परमेश्वरलल जी का विवाह किया था, के पक्ष में एक वसीयत नामा (निष्ठा पत्र) दिनांक 30.12.1971 को उप पंजीयक कार्यालय में तैयार करवाया जिसके जरिये वादग्रस्त भूमि के खातेदार मेघदास चेला हनुमान दास की मृत्यु उपरान्त वादीगण के पिता व पति परमेश्वर लाल खातेदार हो गये तथा स्व. परमेश्वर लाल के दिनांक 20.01.2022 को फौत के पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये परन्तु नये सैटलमेन्ट के दौरान सैटलमेन्ट द्वारा बिना किसी अधिकार तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वादग्रस्त भूमि की खातेदारी खाने में मंदिर माफी श्री नृरसिंह जी दर्ज कर दिया जिसका सैटलमेंट कार्मिको कोई अधिकार नही था। गलत रूप से सैटलमेंट के समय दर्ज रिकॉर्ड वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य है। मंदिर श्री नृसिह जी मात्र जागीरदार थे कृषक नही, कृषक मेघदास चेला हनुमान ... इसलिए खातेदारी गलत रूप से दर्ज की गई है। राजस्थान सरकार ने इस बाबत एक परिपत्र क्रमांक–3(2)राज.../2007/14 दिनांक 24.05.2007 जारी किया है जिसके अनुसार भी वादीगण खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी है। इस बाबत जागीर रिजम्पशन की धारा 9 में भी वर्णन किया गया है। इसलिये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। न्यायालय के समक्ष एक ही बिन्दु तय करना है कि क्या वादीगण मंदिर श्री नृसिंहजी के नाम से वर्तमान में दर्ज खातेदार की भूमि के संबंध में खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है अथवा नही।

यहां महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि वादीगण ने अपने वाद को साबित करने लिए जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श–28 की प्रस्तुत की है जो जागीरी खालसा होने के बाद का प्रथम भू–अभिलेख है, जिसमें कृषक के खाते में मेघदास चेला हनुमानदास दर्ज रिकार्ड है तथा जागीरदार के कॉलम में मंदिर का नाम दर्ज है। ये ही स्थिति जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 मे है। आगे का रिकॉर्ड भी यही प्रदर्शित कर रहा है तथा जागीरदार के कॉलम में राज्य सरकार का नाम दर्ज है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है मंदिर मूर्ति भूमि की जागीरदार है ना कि कृषक है। कृषक मंदिर के अलावा दर्ज व्यक्ति है अर्थात भूमि मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज नही है बल्कि काश्तकार की खुदकाश्त में दर्ज है। वादीगण के अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ''मंदिरो को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13–12–1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नही है।''

'' ऐसी भूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी, के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, वे निरन्तर खातेदार बने रहेगे। धारा 9 निम्न प्रकार है :– आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसी अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।'' फलस्वरूप मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के सम्बंध में परिपत्र 24.05.2007 के परिपेक्ष्य में जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उतराधिकार योग्य एवं हस्तांन्तरित अधिकार दिये गये है। ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पूर्व में माफी मन्दिर नृसिंह जी की जागीरदारी की थी जो श्री मेघदास चेला हनुमान दास द्वारा खुद काश्त की जाती थी। राजस्थान राज्य में जागीरी उम्मुलन हुई और राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अन्मूलन अधिनियम 1952 लागू हुआ तब जागीरदारी को समाप्त कर दिया गया त[illegible]रों द्वारा काश्त की जारी रही भूमि बाबत टीनेन्सी एक्ट 1955 के जरिये खातेदारी अ[illegible] वादग्रस्त भूमि में स्व. मेधदास चेला हनुमान दास को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो[illegible] स्व. मेधदास चोल हनुमान दास खातेदार हो गये जिसका राजस्व रिकार्ड भी बन गया और वादग्रस्त भूमि [illegible] मेंधदास चेला हनुमान दास की खातेदारी में दर्ज चलती रही इसी दौरान वादग्रस्त भूमि के खातेदार श्री मेघदास चेला हनुमान दास ने अपने सगे छोटे भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

फूलचन्द के लडके (वादीगण के पिता व पति) परमेश्वर लाल को जो बचपन से ही मेघदासजी के पास रहता था तथा उन्होने ही परमेश्वरलल जी का विवाह किया था, के पक्ष में एक वसीयत नामा (निष्ठा पत्र) दिनांक 30.12.1971 को सम्पादित करवाया जिसके जरिये वादग्रस्त भूमि के खातेदार मेघदास चेला हनुमान दास की मृत्यु उपरान्त वादीगण के पिता व पति परमेश्वर लाल खातेदार हो गये तथा स्व. परमेश्वर लाल के दिनांक 20.01.2022 को फौत के पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये परन्तु नये सैटलमेन्ट के दौरान सैटलमेन्ट द्वारा बिना किसी अधिकार तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वादग्रस्त भूमि की खातेदारी खाने में मंदिर माफी श्री नृरसिंह जी दर्ज कर दिया जिसका सैटलमेंट कार्मिको कोई अधिकार नही था। गलत रूप से सैटलमेंट के समय दर्ज रिकॉर्ड वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य है। पूर्व में भूमि को रिकार्ड मेघदास चेला हनुमानदास के नाम से कृषक के रूप में दर्ज रहा है तथा जागीरी खालसा होने पर कृषक को धारा 15 के तहत खातेदार अधिकार मिले है, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2036 तक लगातार वादीगण के पूर्वज वादगस्त भूमि के खातेदार दर्ज रहे है। परन्तु भू–प्रबंध कर्मचारियों ने गलत रूप से खातेदारों का नाम हटाकर गलत रूप से भूमि की खातेदारी मंदिर श्री नृसिंह जी के नाम दर्ज कर दी जो विधि सम्मत नही है। न्यायिक संदर्भ अधनियम 1955 की धारा 15, अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.3(2)राज–6/2007/14, दिनांक 24.05.2007, तथा राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र क्रमांकः राम/ प–63/न्याय/ स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 एवम् प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2036 के अनुसार भी वादीगण का वाद उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः वाद वादीगण दस्तोवजी साक्ष्य से पूर्णततया साबित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1301/474 रकबा 4.52 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि घोषित खातेदारी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी तरह से दखलन्दाजी पैदा नही करे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। शेष राजस्व रिकार्ड बदस्तुर जमाबंदी रहे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़, जिला झुन्झुनू

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ

दावा घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

मुकदमा संः– 61/2022 (गायत्री देवी बनाम मंदिर श्री नृसिंह जी)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.06.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1301/474 रकबा 4.52 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि घोषित खातेदारी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी तरह से दखलन्दाजी पैदा नही करे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। शेष राजस्व रिकार्ड बदस्तुर जमाबंदी रहे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.06.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally Signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:16 IST
Reason: SelfAttested